

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.19(05)न्याय/2011

जयपुर, दिनांक : 18.2.2021

—:आज्ञा:—

माननीय उच्च न्यायालय की अनुशंषा पर माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्नांकित न्यायिक अधिकारियों द्वारा वर्ष 2022 में अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक पं. 1 (6) वित्त/रूल्स/1998 दिनांक 24.05.2004 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	केडर	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
01.	HEMANT KUMAR JAIN	DJ	02/07/1962	31/07/2022
02.	NIRMAL SINGH MERATWAL	DJ	26/05/1962	31/05/2022
03.	RAVINDRA KUMAR JOSHI	DJ	28/01/1962	31/01/2022
04.	SURYA PRAKASH KAKRA	DJ	05/11/1962	30/11/2022
05.	ANEETA SHARMA	DJ	30/09/1962	30/09/2022
06.	KISHAN CHAND	DJ	28/04/1962	30/04/2022
07.	UMA SHANKAR SHARMA	DJ	01/06/1962	31/05/2022
08.	RAMESHWAR DAYAL ROHILA	DJ	10/07/1962	31/07/2022
09.	MAMTA VYAS	DJ	21/03/1962	31/03/2022
10.	MUKESH SRIVASTAVA	DJ	12/05/1962	31/05/2022
11.	ISHWARI LAL VERMA	DJ	04/02/1962	28/02/2022
12.	HARI NARAYAN SARSWAT	DJ	07/06/1962	30/06/2022
13.	MUDITA BHARGAVA	DJ	23/08/1962	31/08/2022
14.	SHAHABUDDIN	DJ	13/05/1962	31/05/2022
15.	SITA RAM KHOWAL	DJ	13/09/1962	30/09/2022
16.	MAHENDRA SINGH-II	DJ	11/07/1962	31/07/2022
17.	KRISHNA CHANDRA MOD	DJ	11/04/1962	30/04/2022

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

का
18.2.2021

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक 309 दिनांक 20.01.2021 के क्रम में।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर, ज्योति नगर, जयपुर राजस्थान।
6. संबधित अधिकारी मार्फत रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव